न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-280RAAJodhpur2024-161RTA225 Ravindra Singh Vs Prithavisingh etc

रविन्द्र पुत्र श्री बंशीलाल जी जाति माली, निवासी- भाटी निवास, जालोरियों का बास, जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. पृथ्वीसिंह उर्फ धनराज भाटी पुत्र स्व. श्री बंशीलाल जी, निवासी- प्लॉट नंबर 09 बंशी विहार कॉलोनी गोकुल जी की प्याउ, लालसागर, जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 04 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/168/2024 पृथ्वीसिंह बनाम रविन्द्र सिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री हरिसिंह कच्छवाह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री जोगसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/168/2024 पृथ्वीसिंह बनाम रविन्द्र सिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पाडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विवादित भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है, इसलिए विवादित भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में सिवाय चक दर्ज की जावे। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त आवेदन के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को सुनने के पश्चात ही अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना उचित समझा है, किंतु पुनश्च लिखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट अन्य प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अपीलान्ट अधिवक्ता को जानकारी में आया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व से वाद विचाराधीन है तथा जिसमे स्थगन आदेश खारिज किया गया है। इस तथ्य की जानकारी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को दी गई, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अपीलान्ट को नकल दी तथा आगामी पेशी दिनांक 18.07.2024 को मुकर्रर कर दी गई। जिस पर अधिवक्ता अपीलान्ट नकल लेकर पुन अपने कार्यालय आ गये, लेकिन शाम के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा मौके पर जाकर नाजायज तरीके से अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि पर ताला लगा दिया, जिसके लिये शिकायत अपीलान्ट के द्वारा शिकायत पुलिस थाना मण्डोर में किये जाने पर खुलवाया। तत्पश्चात जानकारी में आया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गुणावगुण के आधार पर आदेश किये जाने के बाद पुनश्च करते हुए स्थगन आदेश जारी किया जो हर प्रकार से गलत व गैर कानूनी है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 177

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार केवल भूमिधारी को है। लेकिन रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय को गुमराह करके वाद पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जबकि धारा 177 में सुनवाई किया जाना आवश्यक है जो सुनवाई केवल तहसीलदार द्वारा की जा सकती है। इस बाबत सहायक कलेक्टर को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की क्षेत्राधिकारिता नहीं होने के कारण प्रस्तुत वाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं है तथा विधि वर्जित होने अपास्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलान्ट को अपनी ही जायदाद के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा पूर्व में बंटवाडा हेतु वाद सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा उसी विवादित सम्पति बाबत उन्ही पक्षकारो के मध्य पुनः वाद प्रस्तुत किया है जो वाद नियम 2 सी पी सी से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है तथा पूर्व वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जो प्रार्थनापत्र भी दिनांक 18.06.2024 को खारिज हो चुका है, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जिसमे अपील का स्थगन आदेश भी खारिज किया जा चुका है। रेस्पोडेंट द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाया जाकर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा स्थगन आदेश जारी करवाया जो हर प्रकार से गलत व गैर कानूनी है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निरस्त करने योग्य है। धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट न होकर केवल भूमिधारी को ही है। उक्त तथ्यो की जानकारी किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज कर स्थगन आदेश जारी किया गया है। जो इसी आधार पर विचाराधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जुलाई 2024 को निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया जा रहा है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं तहसीलदार जोधपुर के पत्र से साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित करने के लिए वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर आवेदन के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखे जाने का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये है।

पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 12983/2024 अनवान रविन्द्रसिंह बनाम पृथ्वीसिंह में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के मुताबिक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के जरिये अदालत हाजा को मामले की पोषणीयता के बिंदु को निर्धारित करते हुए मामले का विधिनुसार निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना है कि **''क्या वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक धारा 177**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 **के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।''** इस संबंध में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारित है कि **''हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली:- भूमिधारी के आवेदन-पत्र पर आसामी को अपने भूमि-क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।** धारा 177 में स्पष्ट प्रावधान है कि उक्त धारा के तहत आवेदन प्रस्तुत का दायित्व/अधिकार केवल भूमिधारी तहसीलदार को ही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से पोषणीय नहीं है।

जहां तक रेस्पोडेंट्स का उज्र है कि अपीलांट द्वारा कृषि भूमि में अकृषि कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या दो विधिनुसार कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा वाद की पोषणीयता के बिंदु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 जुलाई 2024 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर